इस्लाम विश्व-शान्ति का समर्थक है, वह अल्लाह की धरती पर किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधियों, उप्रदव और फ़साद की निन्दा करने के साथ असमाजिक तत्वों को कड़ी सज़ा की चेतावनी भी देता है। संसार के किसी भी भाग में होने वाली हिंसक एवं आतंकी घटनाओं का दुनिया का कोई भी मुसलमान समर्थन नहीं करता।

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफ़ी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

तुझ बिन नहीं कोई मेरा

मौलाना अब्दुल करीम मुस्लिम रह०

दुख दर्द व ग़म उसका गया जिस ने पुकारा या खुदा
सख्ती में मेरे काम आ तुझ बिन नहीं कोई मेरा
जब से समझ आई मुझे दी तू ने गोयाई मुझे
तकरीर यह भायी मुझे तुझ बिन नहीं कोई मेरा
दर दर से टकरा करके सर रखा तेरी दरगाह पर
तू भी न कर दर से बदर तुझ बिन नहीं कोई मेरा
मैं हूं महज़ बे सीम व ज़र बे ज़ोर बे कसब व हुनर
ले गैब से मेरी खबर तुझ बिन नहीं कोई मेरा
मैं नेक हूँ या हूँ बुरा पर नाम लेवा हूं तेरा
अब बख़्श तू या दे सजा तुझ बिन नहीं कोई मेरा
जो खुवेश व बर खुरदार हैं अपनी गर्ज़ के यार हैं
गो ज़ाहिरी ग़म खुवार हैं तुझ बिन नहीं कोई मेरा
मुझको न शौक़े हूर है न खुवाहिशे अंगूर है
तेरी रिज़ा मंजूर है तुझ बिन नहीं कोई मेरा
रोज़े अव्वल के क़ौल में दुनिया के रंज व हवल में
नेकी बदी के तौल में तुझ बिन नहीं कोई मेरा

-दीवाने गुलशने हिदायत से-

(दूसरी और आख़िरी क़िस्त)

मासिक

इसलाहे समाज

नवंबर 2025 वर्ष 36 अंक 11

जुमादल ऊला 1447 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑ वार्षिक राशि 100 रुपये

❑ प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. तुझ बिन नहीं कोई मेरा 02

2. इंसान की कामयाबी 04

3. इस्लाम के पाँच स्तंभ 06

4. मानवता की सुरक्षा, महत्ता ... 10

5. घमंडी फ़िरऔन का अंजाम 12

6. आतंकवाद के विरोध में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का सामूहिक फ़तवा 16

7. पैग़म्बर मुहम्मद स०अ०व० के उपदेश 19

8. इस्लामी शिक्षाओं में इन्साफ की महत्ता 21

9. मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म 24

10. प्रेस विज्ञप्ति 26

12. अपील 27

13. कलैन्डर २०२६ 28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

सम्पादकीय

इंसान की कामयाबी

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः जो शख्स नेक आमाल करे मर्द हो या औरत लेकिन ईमान वाला हो तो हम उसे निस्संदेह अत्यंत बेहतर जीवन देंगे और उनके नेक कामों का बेहतरीन बदला भी उन्हें अवश्य देंगे अब इंसान की कामयाबी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, दूसरों की भलाई चाहने का रास्ता, प्यार मोहब्बत का रास्ता, अम्न शांति का रास्ता, प्यार की डगर और इंसानियत का रास्ता और यह तमाम धर्म में इस तरह की बातें पाई जाती हैं जिसका झंडा वाहक इस्लाम है क्योंकि वह अम्न शांति समझौता और अम्न व सलाम से बना है इस्लाम की शिक्षाऐं इन्हीं अच्छाइयों और पूरी दुनिया की खूबियों की व्यापक हैं। इस्लाम का प्रारंभिक अक्षर दया व करुणा है और वह सबसे बड़े दयावान और हकीकी माबूद के नाम से शुरू होता है वह मानवता को शैतानों की बुराई, वसवसों और बहलाने फुसलाने से बचाता है बल्कि उसे सबसे महफूज किले में पहुंचा कर दुनिया और दुनिया वालों के उलझन और झगड़ों से बचाकर अत्याचार नाइंसाफी के अंधेरों से निकाल कर मानवतावाद के उजाले में लाता है। उनको खन्नास चाहे इंसानों में से हो या जिन्नात में से, के भटकाने से भी सुरक्षित रखता है और सीधी राह पर अग्रसर करता है लेकिन आज का इंसान इस रोशन हकीकत से अनभिज्ञ है या फिर किसी कारण से जाने और अनजाने में इस से नजरें चुरा रहा है। पक्षपात, तंग नजरी और हसद की आग में जलकर इस्लाम मुसलमान बल्कि मानवता का गला घोंट रहा है। रंग व नसल जात-पात और धर्म मत के नाम पर नफरतें बांट रहा है। आतंकवाद का ताना-बाना इससे जोड़ रहा है एक विशेष वर्ग के खिलाफ बिला औचित्य बायकाट का ट्रेन्ड चला रहा है वतन की आजादी के लिए पेश की गई उसकी बेमिसाल कुर्बानियों को भूल करके उसे देश निकाला देने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से पूरे देश और दुनिया में नफरत, दुश्मनी भय और अत्याचार की खेती पककर तैयार होने लगी है असहन और हत्या व गारतगरी का अंधा अजूदहा फन काढ़े खड़ा है जिसके शिकार दूसरे हो ना हों वह खुद हो रहा है। उसे यह कहावत कि ''जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए पहले ही से गड्ढा तैयार रहता है'' किसे याद नहीं। फिर लोग इस आत्महत्या की राह पर क्यों अग्रसर हो रहे हैं? कौम के एक व्यक्ति की गुमराही, ना समझी लापरवाही, जगहंसाई पूरी काम को शर्मिंदा कर देती है, अपमान के गड्ढे में पहुंचा देती है उसकी एक बेवकूफी कमीनगी और बदनामी की वजह से पूरी कौम की बदनामी होती है उसका मोरल डाउन हो जाता है और सब की नाक कट जाती है और यहां तो आवा का आवा ही खराब है और हर छोटे बड़े इसी गुमराही, दुनियादारी, आपसी खींचतान बल्कि अधिकतर खुद को अपने भाइयों से ऊंचा साबित करने

के लिए नाजुक से नाजुक घड़ी में कीना कपट छल कपट की राह अपना लेता है मीर जाफर और मीर सादिक की भूमिका अदा करता है अपने भाई की मामूली तरक्की बल्कि उसका वजूद सहन नहीं करता और दूसरों के अत्याचार और बातों को सहकर उनका बेदाम गुलाम और अपमानित बनकर मिल्लत फरोशी ईमान फरोशी करने लगता है देश समुदाय और जमाअत की सफों में दराड़ पैदा करता है। वह उम्मत का एक सकारात्मक अंग, जमात का बेहतरीन व्यक्ति और उसका ताकत क्या बनता अगर उसका लूला और नाकारा हाथ भी होता तो गनीमत था और हम यह कहने में सही होते कि अपना हाथ लूला ही सही। मगर नफा और नुकसान राष्ट्रीय और सामुदायिक और जमाअती व इंसानी से बेपरवाह वह हाथ खुद टूट का शिकार होकर नासूर बना पूरी जमाअत और खानदान को खोखला करके जांकनी के आलम में पहुंच रहा है इकबाल ने क्या ही खूब कहा था।

फिरका बंदी है कहीं और कहीं जातें हैं

क्या जमाने में पनप्ने ने की यही बातें हैं

आखिर उम्मत इतनी सारी वैचारिक धार्मिक मसलकी, क्षेत्रीय, भौगोलिक और रंग व नस्ल के मतभेद और बुराइयों में इसी तरह लतपत होकर हर सतह पर खुद ही उलझती रहेगी तो सबसे बेहतरीन उम्मत पूरी मानवता की भलाई कब करेगी यह पूरी उम्मत के लिए हर स्तर पर चिंता का छण है आखिर व्यक्ति व जमाअत देश व समुदाय और मानवता के निर्माण व विकास का काम कब होगा?

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

इस्लाम के पाँच स्तंभ

मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सालेह

इस्लाम के पांच स्तंभ हैः

१. शहादतैन (ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) की गवाही देना, २) ज़कात,४ रोज़ा, हज।

१. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहः की गवाही देनाः

''ला इलाहा इल्लल्लाह'' की गवाही का अर्थः नहीं है कोई वास्तविक माबूद (जो हक़ीक़त में प्रार्थना करने के योग्य है) आकाश में और न ही धरती में मात्र अल्लाह तआला के और वही वास्तविकता में प्रार्थना के योग्य है, (दीने हकः पेज ३८)

इसी प्रकार यह वाक्य इस चीज़ का तकाज़ा करता है कि इबादत एवं प्रार्थना को खालिस एक अल्लाह के लिए किया जाए और अलावा सबको नकारा जाये, और इस वाक्य के पढ़ने वाले उस समय तक कोई भला प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके यहां दो चीज़ें न पाई जायें।

पहली बातः ''ला इलाहा इल्लल्लाह'' का इक़रार (स्वीकृति) इस प्रकार से किया जाये कि उस पर संपूर्ण अक़ीदा हो, उसके अर्थ की पूरी जानकारी हो, और उसपर पूरा यक़ीन हो और अमल से उसकी जानकारी हो, और उस पर पूरा यक़ीन हो और अमल से उसकी पुष्टि होती हो, और उसमें मनुष्य को प्रेम और उल्लास प्राप्त हो।

दूसरी बातः अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ों की इबादत एवं प्रार्थना की जाती है उन सब का इंकार करना। लिहाज़ा जिस मनुष्य ने भी इस शहादत का इक़ारा किया लेकिन अल्लाह को छोड़ कर जिन की इबादत की जाती है उनका इंकार नहीं किया तो यह वाक्य उसको कोई भला नहीं देगा।

मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहः की शहादत एवं गवाही का अर्थ यह है कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की आज्ञाकारी एवं फरमांबरदारी उन चीज़ों में की जाये जिसका आपने आदेश दिया, और उन सारी चीज़ों की पुष्टि की जाये जिसकी आप ने खबर दी, और जिन चीज़ों से आप ने रोका उससे परहेज़ किया जाये, और अल्लाह की इबादत उसी तरह की जाये जिस को आप ने जाएज़ किया है। और इस बात पर विश्वास करना कि मुहम्मद स० सारे लोगों के रसूल हैं, और वह मनुष्य एवं इंसान है, लिहाज़ा उनकी इबादत न की जाये, चूंकि वह एक रसूल है, इसलिए उनको झुठलाया न जाये, बल्कि उनकी आज्ञाकारी एवं फरमांबरदारी करनी चाहिए, जिसने उनकी फ़रमांबरदारी की वह स्वर्ग में दाखिल हो गया, और जिस ने आप की अवज्ञाकारी की वह नरक में ढकेल दिया गया। इस बात का ज्ञान एवं विश्वास होना चाहिए कि धार्मिक कानून को प्राप्त किया जाये चाहे वह विश्वास एवं अक़ीदे का कानून हो, या इबादत के तरीक़े हों जिन का अल्लाह ने आदेश दिया है, या कानूनसाज़ी और हुकूमत का निज़ाम, या अख़लाक़ी बातें, या ख़ानदान के सुधार एवं निमार्ण से सम्बन्धित बातें, या हराम एवं हलाल से संबंधित मामले या मसले। इन सारी समस्याओं का समाधान केवल

अल्लाह के रसूल मुहम्मद स० के मार्ग एवं पद्धति से प्राप्त करने हैं। क्योंकि आप अल्लाह के पैग़म्बर हैं और आपने अपनी शरीअत की तबलीग़ कर दी है, पूरी शरीअत को आप ने लोगों तक पहुंचा दिया।

२. नमाज़

यह इस्लाम का दूसरा रूकन है, बल्कि यह इस्लाम का स्तम्भ है, इसका बन्दों और उसके रब के बीच संबंध है, लोग इस को पूरे दिन में पांच बार अदा करते हैं, जिसके कारण उनके ईमान ताज़ा होते हैं, और मनुष्य इससे गुनाहों की गंदगी से पवित्र हो जाता है, यह मनुष्य और गुनाहों एवं अश्लील चीज़ों के बीच दूरी बढ़ाती हैं प्रातः काल मनुष्य जब अपनी नींद से जागता है, तो दुनिया के कार्य में लगने से पहले अपने रब के आगे पाक-साफ होकर खड़ा होता है, फिर अपने रब की बड़ाई बयान करता है, अपनी बंदगी का इक़रार करता है, और उससे फरियाद और सहायता प्राप्त करता है, और रूकूअ, सज्दा और क़ियाम के द्वारा अपने और अपने रब के बीच बंदगी एवं आज्ञाकारी के प्रतिज्ञा को नया करता है, और ऐसा वह पूरे दिन में पांच बार दुहराता है। नमाज़ की अदायगी के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का दिल, उसका बदन, कपड़ा और जिस जगह नमाज़ पढ़ रहा है वह सब पवित्र होना चाहिए, और मुसलमानों को अपने दूसरे भाईयों के साथ नमाज़ जमाअत के साथ अदा करनी चाहिए, और वह लोग अपने चेहरों को अल्लाह के घर काबा की ओर रखें।

इसलिए नमाज़ को सबसे अच्छे एवं ऐसे पूर्ण तरीक़े एवं सूरत में रखा गया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अल्लाह एवं खालिक़ की इबादत एवं प्रार्थना करता है, और मनुष्य के सारे अंगों के द्वारा अल्लाह का सत्कार होता है। जैसा ज़बान, मनुष्य के दोनों हाथ दोनों पैर, और सर, मनुष्य के बदन के सारे भाग अल्लाह का सत्कार करते हैं। मनुष्य के बदन के सारे भाग इस महत्वपूर्ण इबादत में अपने-अपने योगदान के अनुसार अपना भाग्य प्राप्त करते हैं। चुनांचे इन्द्रियां और जिस्म के सारे भाग और दिल को अपने अपने योगदान के अनुसार उनका भाग्य मिलता है और यह सारे भाग अपना काम करते हैं। जैसे अल्लाह की प्रशंसा, अल्लाह की तारीफ, प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता बयान करना, तस्बीह और अल्लाह की बड़ाई हक की शहादत एवं गवाही, कुरआन की तिलावत करना, अल्लाह के सामने कियाम करना, और क़ियाम में अल्लाह के सामने विनम्रता एवं नम्रता और अल्लाह की निकटता प्राप्त करना, इसके बाद रूकूअ और सज्दा करना, और दोनों सज्दों के बीच नम्रता एवं विनम्रता के साथ बैठना तथा अल्लाह के सत्कार एवं सम्मान के लिए अपने आप को विनीति के साथ झुका देना।

फिर नमाज़ का अंत अल्लाह की प्रशंसा एवं तारीफ़ से होनी चाहिए, फिर रब से दुनिया व आख़िरत की भलाईयों एवं अच्छाईयों का प्रश्न करना चाहिए।

३. ज़कात

ज़कात इस्लाम का तीसरा रूक्न है। धनवान मुसलमान के लिए आवश्यक एवं ज़रूरी है कि अपने ध न की ज़कात निकाले, और यह माल का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा होता है, जिसको निर्धनों, गरीबों और विनम्र लोगों को दिया जाता है और इस ज़कात को उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनके लिए जाएज़ है।

मुसलमानों के लिए आवश्यक है कि उनके योग्य (मुस्तहिक़) को

देते समय प्रसन्नता से दें, और उन पर उपकार नहीं करना चाहिए, और न ही उसके कारण दुख एवं तकलीफ पहुंचायें।

इसी प्रकार मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि ज़कात को मात्र अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए निकाले, और उसके द्वारा लोगों से बदला और धन्यवाद की आशा न लगाये, बल्कि उसे मात्र अल्लाह की खुशी प्राप्त करने के लिए निकाले, दिखावा और प्रसिद्धि उसका मक़सद न हो। ज़कात निकालने से माल एवं धन में बरकत और वृद्धि होती है, और ज़रूरतमंदों, भिखारियों और गरीबों के दिलों के लिए प्रसन्नता का सामान होता है, और उनको एक दूसरे के सामने हाथ फैलाने के अपमान से बेनियाज़ कर देता है, और उनके साथ दया एवं कृपा हो और निर्धनता और क़र्ज के जाल से उनको धनवान एवं अमीर लोग छुड़ा दें। ज़कात निकालने का एक लाभ यह है कि मनुष्य इसके द्वारा दया, फैयाज़ी एवं दानशीलता, स्वार्थ-त्याग, सखावत और कृपा आदि गुणों से जाना जाता है। और कुछ बुरे गुण जैसे कंजूसी आदि घटिया चीज़ों से बच जाता है, और इस ज़कात के द्वारा मुसलमानों की सहायता होती है, और धनवान निर्धनों पर दया करते हैं, अगर सारे लोग इस ज़कात को देने लगें तो समाज में कोई मुहताज भिखारी नहीं रहेगा, और न ही कोई मनुष्य क़र्ज़ों के बोझ में लदा हुआ होगा।

४. रोज़ाः

इसम का चौथा रूक्न रोज़ (ब्रत) है, और यह रमज़ान के महीने का रोज़ा है जो फज्र के उदय से आरंभ होता है और सूर्य के डूबने पर अंत होता है, और यह रोज़ा मनुष्य को खाने-पीने और अपने पत्नी के साथ संभाग करने से रोकता है। अल्लाह तआला की इबादत के ख़ातिर, और इसी प्रकार यह मनुष्य को लालसा एवं कामवासना से रोकता है, और अल्लाह तआला ने रोज़ा से बीमार, मुसाफ़िर, हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत और हैज़ निफ़ास वाली औरतों को छूट दी है और इन में से हर एक के लिए अलग-अलग आदेश हैं। और इस माह मुसलमानों को अपनी आत्मा को कामेच्छों से रोकना चाहिए और अपने आप को जानवरों की श्रेणी से निकाल कर फ़रिश्तों के दर्जा में पहुंचा देना चाहिए।

रोज़ा मनुष्य की आत्मा को शुद्धि एवं साफ़ करता है और उसको अल्लाह का डर और तक़वा अपनाने पर उभारता है। व्यक्तिगत और समाज को खुशी एवं दुख में ढके एवं ज़ाहिर में अल्लाह तआला की निगरानी का बोध एवं चेतना देता है, ताकि पूरा समाज पूरे एक माह इस इबादत की रक्षा करें तथा अपने रब की निगरानी में सांस लें, अपने अन्दर अल्लाह का डर पैदा करें और अल्लाह पर ईमान और अंतिम दिन पर ईमान लायें, और यह यक़ीन और दृढ़ हो कि अल्लाह तआला राज़ की बातों को जानता है और ढकी-छुपी चीज़ों को भी और मनुष्य को एक दिन अपने सामने खड़ा करेगा और मनुष्य से छोटे बड़े सारे कार्य (आमाल) के बारे में पूछ-गछ करेगा।

५. हजः

हज इस्लाम का पांचवां रूक्न है। हज का अर्थ यह है कि मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के घर की ज़ियारत करना। यह हर मुसलमान बालिग़, बुद्धिमान, ताक़तवर के लिए अनिवार्य है, जो अल्लाह के घर मस्जिदे हराम तक पहुचने का ख़र्च एवं व्यय या सफ़र का व्यय रखता हो, और उसके पास इतनी पूंजी

एवं ख़र्च हो जो आने-जाने के लिए काफ़ी हो, और यह सफ़र का ख़र्च उस पूंजी के अलावा या फ़ाजिल हो जिससे उसके परिवारों का पालन-पोषण किया जाता हो। इसी प्रकार उसका रास्ता सुरक्षित हो, और उसके अनुपस्थिति में जिन का वह पालन पोषण करता है वह लोग भी सुरक्षित हों। हज पूरे जीवन में मात्र एक बार अनिवार्य है जो मनुष्य वहां तक जाने की माली एवं जिस्मानी क्षमता रखता हो। जिस मनुष्य ने भी हज का इरादा किया हो उसके लिए उचित है कि वह अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि अपने आप को गुनाहों की गंदगी से पवित्र कर ले। जब मक्का मुकर्रमा और पवित्र मुक़ामात में पहुंचे, तो अल्लाह तआला का सम्मान एवं सत्कार और बंदगी को बज़ा लाते हुए हज के आमाल को अदा एवं अंजाम दे, और यह बात अच्छी तरह जान ले कि काबा और सारे मशायर में मात्र अल्लाह की ही पूजा एवं इबादत की जायेगी और यह कि यह सब स्थान न कोई हानि एवं लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर अल्लाह तआला वहां पर हज करने का आदेश न दिया होता तो मुसलमानों के लिए उचित एवं सही नहीं था कि वहां जाकर हज करते। हज करते समय हाजी एक सफ़ेद रंग का तहबन्द या लुंगी और एक सफेद चादर पहनेगा।

चुनांचे धरती के हर कोना एवं कोण से मुसलमान एक जगह जमा (एकत्रित होना) होते हैं और सारे लोग एक ही कपड़े में होते हैं, सारे लोग मात्र (केवल) एक ही रब की इबादत (पूजा) करते हैं। सरदार (मुखिया एवं दास) धनवान एवं भिखारी, काला एवं गोरा के बीच में कोई भेद एवं अन्तर नहीं होता है, सारे के सारे अल्लाह के बन्दे और मख़लूक़ हैं।

एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर उच्चता एवं श्रेष्ठता मात्र तक़वा (अल्लाह का डर) और सच्चे और नेक कार्य के कारण हो सकता है। लिहाज़ा मुसलमानों को एक-दूसरे की सहायता और परिचय कराना चाहिए, और उस दिन को याद करना चाहिए जिस दिन अल्लाह तआला सारे लोगों को क़ब्रों से जीवित करके उठायेगा और सारे लोगों को हिसाब व किताब के लिए एक मैदान में इकटठा करेगा, लिहाज़ा लोगों को अल्लाह की फरमांबरदारी करके मौत के बाद की तैयारी करनी चाहिए।

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइन नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताःअहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

मानवता की सुरक्षा, महत्ता एवं आवश्यकता

मुहम्मद अज़हर मदनीए डायरेक्टर, इकरा गर्लस इण्टरनेशनल नई दिल्ली

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फ़रमायाः जिसने किसी मुआहिद अर्थात गैर मुसिलम नागरिक की हत्या की तो वह जन्नत की खुश्बूत नहीं सूंघ सकेगे जबकि जन्नत की खुश्बू चालीस साल की दूरी की यात्रा तय करने तक महसूस की जाती है। (सहीह बुखारी ३/११५, इब्ने माजा २/८६६, बज्जार २३८३)

इस्लाम दया, करूणा वाला ध र्म है उसने मानव सुरक्षा और अम्न व शान्ति की स्थापना के लिये व्यवहारिक उपाय पेश की लोगों को चरित्रवान बनाने के साथ साथ पूरी मानवता को अम्न व शान्ति का सन्देश सुनाया और इस धरती पर अत्याचार और फसाद के खात्मे का एलान किया और हर प्रकार के हिंसा, फसाद, हत्या और आतंकवाद को हराम करार दिया और एक इन्सान के नाहक कत्ल को पूरी मानवता की हत्या के समान करार दिया कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वह किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और जो शख़्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को जिन्दा कर दिया (सूरे माइदा-३२)

शुरू में उपर्युक्त हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो मानव सेवा के सबसे बड़े और सच्चे समर्थक थे। आपने अपनी पूरी जिन्दगी मानवता के लिये खर्च कर दी ताकि इस धरती से बुराई का खात्म हो जाये, लोग खुशहाल जिन्दगी गुजारने लगें, समाज शान्ति पूर्ण, खुशगवार, और सुखमय हो जाये, लोग एक हो जायें, किसी भी प्रकार का न कोई भेद भाव हो और न ही कोई भय।

हर जगह शान्ति ही शान्ति हो, समृद्धि ही समृद्धि हो, प्यार मोहब्बत का वातावरण हो लोग मानवता की बुनियाद पर एक दूसरे के अधिकारों की अदायगी करें।

हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने मानवता को इतना सम्मान दिया और इन्सानी प्राण की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिये फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपने भाई की तरफ इशारा न करे, तुममें से कोई नहीं जानता कि शायद शैतान उसके हाथ को डगमगा दे और नाहक कत्ल के परिणाम में जहन्नम के गडढ़े में जा गिरे। और अबू दाऊद की एक हदीस में यहां तक आया है कि हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने नंगी तलवार लेने देने से भी मना किया है।

सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद स०अ०व० की पूरी ज़िन्दगी इस बात की प्रतीक और प्रेरक है कि आपने मानवता की बुनियाद पर सबको उनका पूरा हक दिया और किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया। आज लोगों में यह गलत फहमी (भ्रम) है कि हज़रत मुहम्मद स०अ०व० और उनके सहाबा (साथियों) ने गैर मुस्लिमों के जान व माल और उनके मान सम्मान को हलाल कर दिया जबकि यह सरासर झूठ और मानवता के उपकारक पर झूठ और निराधार आरोप है। हदीस की किताब मुसनद अहमद और अबू दाऊद में है हज़रत खालिद बिन वलीद बयान करते हैं कि हम हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के साथ ख़ैबर में मौजूद थे लोग जलदी से यहूद के बाड़ों में घुस गये, आपने मुझे अजान देने का हुक्म दिया इसके बाद आपने फरमाया कि तुम जल्दी में यहूद के बाड़े में घुस गये हो सुन लो! सिवा-ए-हक के गैर मुस्लिम शहरियों के माल से लेना हलाल नहीं, और एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद अल्लाह ने खैबर के मौके पर गैर मुस्लिम शहरियों के माल पर कबजा करने को हराम करार दिया है। बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी स्मिता तुम्हारे ऊपर ऐसे ही सम्मानीय है जैसा कि आज का यह दिन सम्माननीय है। इस हदीस में भी मानवता की सुरक्षा और सम्मान पर विश्व-विधान है। सम्मान, जान माल, अक्ल, दीन और आचरण की सुरक्षा का कर्तव्य इस्लाम में मानव-सुरक्षा की जहां जमानत है वहीं शराब, जुवा, प्रदूषण, ढगी, घोकाधड़ी की हुर्मत (अवैधता) भी मानतवा की सुरक्षा के लिये आवश्यक है। मानव-सुरक्षा के सिलसिले में हैवान, बनस्पति, (निर्जीव) यहां तक कि नजिस जानवरों की सुरक्षा और उनके साथ दया करूणा और उनकी सेवा पर भी इस्लाम बल देता है क्यों कि मानवता की बका, सुरक्षा और सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सिलसिले में प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत की शुभसूचना देने वाली हदीस का संदर्भ काफी है।

हदीस की किताबों में मानव सुरक्षा के संबन्ध में दर्जनों ऐसी हदीसें और शिक्षाएं मिलेंगी जिनसे इस बात का अन्दाजा होता है कि मानव सुरक्षा उन महत्वपूर्ण और बुनियादी बातों में से है जिसके बिना इंसानियत की पहचान खत्म हो जाती है। कुरआन का मानव सम्मान और स्मिता की सुरक्षा के हवाले से यह सबसे बड़ा सम्मान है कि हमने आदम की सन्तान को बड़ी इज्ज़त दी और उन्हें खुश्की और तरी समुद्र की सवारियों दीं और उन्हें पवित्र चीजों की रोजियां दीं और अपनी बहुत सी सृष्टि (मखलूक) पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदानकी। इस लेख में उल्लिखित कुरआन की आयत मानव सम्मान के अध्याय में एक मूल सिद्धांत है जिससे इन्सान का श्रेष्ठ होना निर्धारित करता है।

अल्लाह से दुआ कि हम तमाम लोगों को मानवता की सुरक्षा की भावना रखने की क्षमता और मानवीय आधार पर एक दूसरे पर एक दूसरे के अधिकार को जानने पहचानने और व्यवहारिक रूप देने की क्षमता दे। आमीन

❑❑❑

घमंडी फ़िरऔन का अंजाम

डा0 मो0 ज़ियाउर्रहमान आज़मी रह0

फ़िरऔन का शब्दिक अर्थ है 'सूरज का पुत्र' चूँकि मिस्र के लोग सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए वे अपने राजा को 'फिरऔन' की उपधि देते थे। उनका विचार था कि उनका राजा सूर्य का अवतार है, इसी लिए वे उसकी पूजा करते थे। इससे मालूम होता है कि फ़िरऔन किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि यह मिस्र के राजाओं की उपाधि है, जैसे रोम के राजा को 'कैसर', ईरान के राजा को 'किसरा', तुर्की के राजा को 'खाक़ान' कहा जाता था इसी प्रकार मिस्र के राजा को फ़िरऔन कहते थे। बाइबल में जिन फ़िरऔनों का वर्णन नामों के साथ आया है, वे पाँच हैं। ये सब मूसा अलैहि० के काल के बाद के हैं। उन पाँचों फिरऔनों के नाम ये हैं-

१. शीशक, २. शो, ३. नको, ४. हफ़रा और ५. तिर्हाक। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-

१. शीशकः यह सुलैमान अलैहिस्सलाम के समय मिस्र का राजा था। जब सुलैमान अलैहिस्सलाम ने यारोबाम को मारना चाहा तो वह शीशक के पास भाग गया और सुलैमान अलैहिस्सलाम की मृत्यु तक वहीं रहा। (देखिएः १ राजा ११:४०)

और जब यारोबाम राजा बना तो यही शीशक था, जिसने इसराईली राज्य पर आक्रमण कर दिया और सुलैमान अलैहिस्सलाम के राज्य में जो कुछ भी था लूट कर ले गया। (देखिएः१ राजा, १४:२५)

२. शोः इसराईल के राजा होशे ने मिस्र के राजा फिरऔन शो से अशूर के राजा शल्मनेसेर के विरूद्ध सहायता मांगी, परन्तु शो उसकी कोई सहायता न कर सका, यहां तक कि राजा शल्मनेसेर विजयी हुआ और तीन वर्ष तक इसराईली राज्य उसके हाथ में रहा। (देखिएः २राजा, १७:३-४)

३. तिर्हाकः यह हब्शा का राजा था। लगभग ६८८ ईसा पूर्व मिस्र का राजा बन गया (देखिएः २ राजा, १९:९ तथा यशायाह, ३७:९)

४. नकोः इसने मिस्र पर (६०९-५८३) ईसा पूर्व तक राजय किया। यह मिस्र का पहला शासक है जिसने लाल सागर को सफेद सागर से मिलाने की कोशिश की। परन्तु लाखों लोगों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद उसने अपना विचार बदल लिया। ढाई हजार वर्ष के बाद मिस्रियों ने एक नहर की खुदाई की और उसको स्वेज़ नहर का नाम दिया।५. हफ़राः जो राजा नको का उत्तराधिकारी बना।

ये वे पाँच फ़िरऔन हैं जिनके नाम बाइबल में आए हैं। रहे वे फिरऔन, जिनका वर्णन बाइबल में तो आता है, परन्तु उनके नामों का पता नहीं चलता वे हैंः इबराहीम, यूसुफ और मूसा अलैहिस्सलाम के समय के फ़िरऔन। इसलिए इतिहासकारों में इनके नामों के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुरआन में मूसा अलैहिस्सलाम के समय के फिरऔन का वर्णन चौहत्तर बार आया है। विद्वानों का विचार है कि जिस फिरऔन के दरबार में आप पले-बढ़े उसका नाम 'सिमत' था। कोई उसको 'पथामीन' बताता है तो कोई 'रामसीस तृतीय' कहता है। एक दूसरा विचार है कि जिस

फ़िरऔन के दरबार में आप पले-बढ़े वह 'रामसीस द्वितीय' था, जिसने (१५२७-१४०७) ईसा पूर्व से शासन का आरंभ किया और जिसके दरबार में आप अलैहिस्सलाम अल्लाह का संदेश लेकर गए वह मिन्फताह था और फिर इसी फिरऔन ने आप अलैहिस्सलाम का और इसराईलियों का पीछा किया और अन्त में दरिया में डूब मरा।

कुरआन चूंकि अल्लाह का संदेश है, जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण मानव-जाति का मार्गदर्शन है, इसलिए उसने इस प्रकार की अनावश्यक बातों का वर्णन नहीं किया। इसी लिए यहां उसका बहुत संक्षेप में वर्णन किया गया है। वास्तव में हमें यह देखना है कि कुरआन ने फिरऔन को किस रूप में प्रस्तुत किया है, हम इससे क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराईल के साथ कैसा व्यवहार किया और फिर उसका क्या अंजाम हुआ। १. फिरऔन बनी इसराईल के बेटों को मार डालता था और उनकी स्त्रियों को जीवित रखता था।

''याद करो जब हमने तुम्हें फिरऔन और उसकी जाति से छुटकारा दिलाया। वे तुम लोगों को अत्यन्त बुरी यातना देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे, और तुम्हारे रब की ओर से बड़ी परीक्षा थी। (कुरआन, सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-४६)

२. फिरऔन और उसकी जाति ने अल्लाह की भेजी हुई खुली निशानियों को ठुकरा दिया। ''फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा, परन्तु उन्होंने इन निशानियों के साथ जुल्म किया। तो देखो, इन बिगाड़ पैदा करने वालों का क्या परिणाम हुआ। (कुरआन, सूरा-७, अल-आराफ, आयत-१०३)

३. फिरऔन ने जादूगरों को बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम के संदेश को भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। परन्तु जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को पराजित कर दिया, और जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमन ले आए तो वही फिरऔन अत्याचार पर उतर आया, और जादूगरों को ध मकी देने लगा कि मैं तुम सबको फांसी पर लटका दूंगा। इसका वर्णन कुरआन में बड़े विस्तार से आया है, जिसको यहां बयान किया जा रहा है।

''फ़िरऔन ने कहा, ''यदि तू कोई निशानी लेकर आया है तो उसे पेश कर, यदि तू सच्चे लोगों में से है।'' तब उसने अपनी लाठी (धरती पर) मारी। क्या देखते हैं कि वह एक प्रत्यक्ष अजगर था। और उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखने वालों ने देखा कि वह चमक रहा है। फिरऔन की जाति के सरदार कहने लगे, ''निश्चय ही यह बड़ा जानकार जादूगर है। तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल देना चाहता है, तो अब तुम क्या कहते हो?'' उन्होंने कहा, ''इसे और इसके भाई (हारून) को प्रतीक्षा में रखो और इकटठा करने वालों को नगरों में भेज दो कि वे हर जानकार जादूगर को तेरे पास ले आएं। और (ऐसा ही हुआ) जादूगरा फिरऔन के पास आ गए। उन्होंने कहा, ''यदि हम जीत गए तो हमें अवश्य इसका बदला मिलेगा।'' कहा, हां और निश्चय ही तुम क़रीबी लोगों में से हो जाओगे।'' उन्होंने कहा, ''ऐ मूसा! या तो तुम (अपना अंछर) फेंको या हम फेंकें।'' उसने कहा, ''तुम ही फेंको।'' उन्होंने फेंका तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें डरा दिया, और उन्होंने बहुत बड़ा जादू दिखाया।

हमने मूसा की ओर 'वहय'

की, ''अपनी लाठी (धरती पर) डाल दो।'' फिर क्या था वह उनके रचे हुए स्वांग को निगलने लगी। इस तरह सच्चाई साबित हो गई और जो कुछ वे करते थे मिथ्या हो कर रहा। इस तरह वे वहां परास्त हुए और उल्टे अपमानित हो गए। और जादूगर सजदे में गिर पड़ें कहने लगे, हम सारे संसार के रब पर ईमान लाए, जो मूसा और हारून का रब है।'' फिरऔन ने कहा, ''इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता, तुम उस पर ईमान ले आए। निश्चय ही यह चाल है जो तुम लोग इस नगर में चले हो, ताकि तुम लोगों को यहां से निकाल दो, तो अब तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ-पांव विपरीत दिशाओं से कटवा दूंगां फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। बोले, हम तो अपने रब की ओर पलटने वाले ही हैं। तुम हमसे केवल इसलिए बैर रखते हो कि हमारे रब की निशानियाँ जब हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। हमारे रब! हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें (इस लोक से) इस दशा में उठा कि हम मुस्लिम (आज्ञाकारी) हों'' और फिरऔन की जाति के सरदारों ने कहा, ''क्या तू मूसा और उसकी जातिवालों को ऐसे ही छोड़ देगा कि वे धरती में फ़साद फैलाएं और वह तुझे और तेरे इलाहों को छोड़ बैठें?'' उसने कहा, ''हम उनके बेटों को बुरी तरह क़त्ल करेंगे और उनकी स्त्रियों को जीवित रहने देंगे, और हमें उनपर पूर्ण आधपत्य प्राप्त है।'' (सूरा-७, अल-आराफ, आयतें १०६-१०७) ४. फिरऔन बहुत बड़ा घमंडी था। निश्चय ही फिरऔन ध रती पर बड़ा घमंडी था और निश्चय ही वह सीमा से बाहर होने वालों में था। (कुरआन सूरा-१०, यूनुस, आयत-८३) अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे फिरऔन के पास जाएं क्योंकि वह बड़ा विद्रोही बन गया है। (देखिए सूरा-२०, ता-हा, आयत-२४)

''निश्चय ही फ़िरऔन धरती पर बड़ा घमंडी बन गया था, और उसने धरती के निवासियों को जत्थों में बाँट दिया था, फिर उनमें से एक जत्थे को कमज़ोर करता, उनके बेटों की हत्या करता, और स्त्रियों को जीवित रहने देता। निश्चय ही वह उपद्रव करने वालों में से था।'' (कुरआन, सूरा-२८, अल-क़सस, आयत-४)

५. फिरऔन ने कहाः ऐ सरदारो! मैं तो अपने अतिरिक्त किसी और ईश्वर को नहीं जानता। (कुरआन, सूरा-२८, अल-क़सस, आयत-३८) फिर लोगों को इकटठा किया, और पुकारकर कहने लगाः मैं तुम्हारा सर्वोच्च रब (पालनहार प्रभु) हूं। (सूरा-७९, अन-नाज़िआत, आयतें-२३,२४) फ़िरऔन का अन्तः जब इसराईली मिस्र से निकल रहे थे तो फिरऔन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया और समुद्र के निकट उनको घेर लिया। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने समुद्र में लाठी मारी और वह दो भागों में बट गया।

तब हमने मूसा की ओर वह्य की कि अपनी लाठी समुद्र पर मारो, तो वह फट गया, और उसका प्रत्येक टुकड़ा एक बड़े पहाड़ की भांति हो गया। (कुरआन, सूरा-२६, अश शुअरा, आयत-६३)

इसराईली तो समुद्र के बीच मार्ग बन जाने के कारण पार हो गए, परन्तु जब फिरऔन ने अपनी सेना के साथ समुद्र मार्ग में प्रवेश किया तो समुद्र के दोनों भाग आपस में जुड़ गए और उसकी सारी सेना डूब गई। परन्तु अल्लाह ने फिरऔन के शव को डूबने से बचा लिया और उसको समुद्र के बारह फेंक दिया, ताकि वे लोग जो उसको ईश्वर बना

बैठे थे, और जो स्वयं अपने बारे में कहता था कि मैं तो तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ रब हूं, उसका दर्दनाक अंजाम देखें।

''आज हम तेरे (मृत) शरीर को बचा लेंगे, ताकि जो लोग तेरे पीछे रह गए हैं उनके लिए तू एक निशानी (इबरत) बन जाए।''(क़ुरआन, सूरा-१०, युनूस, आयत-९२) कुछ भाष्यकारों ने कहा है कि क़ुरआन की यह आयत उस शव की ओर संकेत करती है, जो आज क़ाहिरा के म्यूज़ियम में रखा है, और जिसके विषय में लोगों का विचार है कि यह वही फ़िरऔन है, जो समुद्र में डूबा और अल्लाह ने उसके शव को बचा लिया। ऐसा कहने वाले लोग दो प्रकार की ग़लती करते हैं- एक तो यह कि क़ुरआन से यह सिद्ध नहीं होता कि उसका शव क़ियामत तक बाक़ी रहेगा या कम से कम हज़ार वर्ष तक रहेगा, क्योंकि उसके शव को दरिया से बाहर फेंकने का मुख्य कारण केवल उन लोगों को दिखाना था जिन्होंने उसको रब बना रखा था और उसके सामने सजदा करते थे। उनको यह दिखाना था कि देखो तुम्हारा रब आज किस दशा में है? और यह उद्देश्य प्राप्त हो गया।

दूसरी ग़लती यह है कि यह बात अभी तक सिद्ध नहीं हो सकी हैं कि यह उसी फिरऔन का शव है जो मूसा अलैहिस्सलाम के समय में था और समुद्र में डूबा था, बल्कि अब तक लोग इस विषय में किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं और अगर पहंच भी जाएं तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसलिए आयत में जो निशानी कहा गया है, तो उसका अर्थ यह है कि यह निशानी है उसकी जातिवालों के लिए और शिक्षा है क़ियामत तक आने वाले सारे मनुष्यों के लिए कि जो अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य को अपना पूज्य बना लेते हैं तथा लोगों पर अत्याचार करते हैं उनका अन्त भी ऐसा ही होगा, जैसा फ़िरऔन का हुआ। बाइल में फिरऔन और उसकी सेना के डूबने का वर्णन कुछ इस प्रकार आया है-

''फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों, उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और सवेरा होते-होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यां का त्यों अपने स्थान पर आ गया और मिस्री उलटे भागने लगे, परन्तु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। जल के पलटने से जितने रथा और सवार इसराईलियों के पीदे समुद्र में आए थे, वे सब बल्कि फिरऔन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। परन्तु इसराईली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाई दोनों ओर दीवार का काम देता था। यहोवा ने उस दिन इसराईलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाय। इसराईलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इसराईलियों ने यहोवा का भय माना और हयोवा और उसके सेवक मूसा पर विश्वास किया।'' (देखिएः निर्गमन, १४:२६-३१) यहां जो यह कहा गया है कि, ''इसराईलियों ने मिस्रयों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा।'' उनमें फिरऔन का शव भी हो सकता है, बल्कि उसका शव अवश्य ही रहा होगा, ताकि स्वंय इसराईलियों का एक गरोह जो फ़िरऔन की मृत्यु के बारे में शकागंस्त था और अभी भी डरा हुआ था, उसको विश्वास हो जाए कि अब वह फ़िरऔन की पकड़ से बचकर निकल गए हैं।

आतंकवाद के विरोध में

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का सामूहिक फतवा

अनुवादः नौशाद अहमद

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की तरफ से आतंकवाद के विरोध में महान ओलमा और लगभग एक दर्जन मदर्सों के हस्ताक्षर से यह फतवा जारी किया जा रहा है।

प्रश्नः इस वक्त आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया में हंगामा है। वैश्विक मीडिया से लेकर नेश्नल मीडिया तक हर जगह आतंकवाद की चीख सुनाई देती है और देखने में इसके कई रूप हैं। धमाके, विनाशकारी, अपहरण, कत्ल आत्मघाती हमले, बसों और हवाई जहाजों को हाईजेक करना और उसे तबाह करना आदि। इस आतंकवाद के कारण जान माल सरकारी और प्राइवेट सम्पदाओं को नुक्सान पहुंचता है। जनहित के अनेक प्रतिष्ठान तबाह होते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस्लामी ओलमा और मुफ्ती इन सब चीजों के बारे में क्या राय रखते हैं कृप्या हमें यह बतायें कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में जगह मिल सकती है। इस्लामी कानून की दृष्टि से असमाजिक कार्रवाइयों की क्या हैसियत है और इन्हें शरीअत किस नजर से देखती है?

उत्तरः धमाके , अपहरण, हत्या, आत्मघाती हमले, हवाई जहाजों और बसों को हाईजेक करके यात्रियों सहित तबाह करना और निर्दोष लोगों को जान से मारना आदि इन सब कामों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामी कानून में यह सब काम बिल्कुल हराम हैं। इन्हें कोई भी नाम दिया जाये और इनके पीछे कोई भी सबब बयान किया जाये यह सब काम हर हाल में हराम और गलत हैं। यह काम चाहे कोई मुसलमान करे या गैर मुस्लिम, चाहे आतंकवाद किसी मुस्लिम मुल्क में हो या किसी गैर मुस्लिम मुल्क में, हर हाल में हराम है।

हकीकत यह है कि जब कोई धमाका होता है या कोई विनाशकारी कार्रवाई होती है, अपहरण या हत्या होती है, या आत्मघाती हमले होते हैं, किसी आम सवारी या जहाज की हाई जेकिंग होती है तो लोगों के जान, माल, इज़्ज़त, धर्म और विश्वास खतरे में पड़ जाते हैं। शान्ति तहस नहस हो जाती है। निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जन सम्पदा (पब्लिक प्रापर्टी) तबाह होती है। इंसान भावुकता का शिकार हो जाता है और सारी ध ार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का दामन छोड़ देता है जब कि इस्लाम इन सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ‘‘इसी लिये बनी इस्राईल पर (जो शरीअत नाजिल की उसमें) हमने लिख दिया था कि जो कोई किसी जान को बगैर किसी जान के बदले या बिना मुल्क में फसाद करने (की सज़ा) के मारता है वह गोया (हकीकत में) तमाम लोगों को कत्ल करता है और जिसने किसी नफ़्स को जीवित रखा तो उसने गोया सब लोगों को जिन्दा रखा और बिला शुबहा हमारे रसूल उनके पास खुले खुले अहकाम लाये इसके बाद भी बहुत से उनमें से मुल्क में ज़्यादती करते फिरते हैं, जो लोग (दंगा फसाद करके गोया) अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं उनकी सज़ा बस यही है कि कत्ल किये जायें या सूली दिये जायें या

उनके हाथ पांव उल्टे सीधे काट दिये जायें या उनको देश से निकाल दिया जाये (यह सब सूरतें हाकिम की राय के अनुसार हों) यह ज़िल्लत उन (फसादियों) के लिये दुनिया में है और (अभी) आख़िरत में बड़ा अजाब (बाकी) है। (सूरे माइदा-३२-३३)

कुरआन की इन दो आयतों से स्पष्ट है कि इस्लामी सजाओं का मकसद ही यह है कि इंसानों की जान माल इज्जत और धर्म व अक्ल तबाह न हो, उनको सुरक्षा मिले, जन शान्ति बाकी रहे, किसी आदमी या गुट को कानून को तोड़ने और मनमानी का अवसर न मिले, और जो विनाशकारी हरकत करें, उपद्रव फैलायें, हत्या करें उन्हें निश्चय सजा मिलनी चाहिये।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें तुझ को दुनिया में भली मालूम होती हैं और जो कुछ दिल में है उस पर अल्लाह को गवाह करता है, हालाँकि वह तुम्हारा दुश्मन है और जब फिर जाता है तो ज़मीन में दौड़ धूप करता है कि उसमें फसाद फैलाये और खेतों को बर्बाद करे और चौपायों की नस्ल को मार दे। और अल्लाह तआला फ़साद को पसंद नहीं करता। (सूरे बकरा-२०४-२०५)

ऐसी मेहनत और प्रयास जो इंसान को तबाह कर दे, सम्पदा को नुक्सान पहुंचाये, जिससे शान्तिपूर्ण माहौल में उपद्रव फैल जाये, यह सब चीज अल्लाह को बिलकुल पसंद नहीं है इसको किसी भी तरह वैध (जायज) नहीं ठहराया जा सकता। जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते, नफरत और दुश्मनी उनकी सोच बन जाती है, इंतेकाम (प्रतिशोध) उनका लक्ष्य बन जाता है, इस्लाम और क़ानून की उन्हें कोई परवाह नहीं होती, ऐसे ही लोग जमीन में उपद्रव फैलाते हैं। इन सब अपराधिक कामों की कुरआन ने निंदा की है और सख्ती से रोका है। साथ ही सकारात्मक व्यवहार अपनाने पर उभारा है। अल्लाह तआला फरमाता है।

''और किसी कौम की दुश्मनी से अन्याय न करने लगो (बल्कि हर हाल में) न्याय ही किया करो क्योंकि न्याय परहेजगारी के बहुत ही करीब है। (सूरे माइदा-८)

किसी भी इंसान या गुट को किसी कौम या किसी इंसान से दुश्मनी है तो उसके लिये यह जायज नहीं कि वह दुश्मनी के नशे में सारी सीमाओं और क़ानून को तोड़ डाले और जिस से दुश्मनी है उसके साथ जुल्म और अन्याय का व्यवहार करे। इस्लाम ने हर हाल में इंसाफ की तालीम दी है चाहे किसी से कितनी ही दुश्मनी क्यों न हो।

विनाशकारी कामों में जुल्म सिर्फ एक आदमी पर नहीं बल्कि बहुत सारे निर्दोष लोगों पर होता है। कभी कभार इसमें सैकड़ों बल्कि हजारों जानें तबाह हो जाती हैं। और जन सम्पदा बर्बाद हो जाती है।

ऐसी सूरत में इन कामों के हराम होने में क्या शक हो सकता है? यह बिल्कुल हराम हैं। इंसाफ करने का आदेश कुरआन की दूसरी आयतों में भी दिया गया है। अल्लाह तआला फरमाता है ''अल्लाह तुम को इंसाफ करने का हुक्म देता है और (हर एक के साथ) एहसान करने का और संबन्धियों को (ताक़त के मुताबिक) देने का और बेहयाई (यानी ज़िना, और उसकी तरफ उभारने वाली चीजों) और नाजायज़ हरकतों से और अत्याचार करने से मना करता है तुम को नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पाओ। (सूरह नहल-९०)

इस आयत में इंसाफ, संबन्धियों के साथ भलाई का हुक्म और बेशर्मी, अत्याचार हिंसा और बगावत से रोका गया है।

यह सारी आयतें इतनी व्यापक हैं कि इनकी रोशनी में किसी भी तरह की मनमानी अत्याचार अधिकार हनन, जान माल, इज्जत और दीन धर्म पर हमला करने की इजाजत

नहीं दी जा सकती।

हर तरह के अत्याचार हिंसा और अधिकार हनन का उपचार इस्लाम में मौजूद है और उसका तरीका भी बताया गया है, उनको दूर करने के लिये जिस को कानूनी अधिकार दिये गये हैं उसे यह अधिकार इस्तेमाल करना चाहिये और लोगों को निराज और उपद्रव नहीं फैलाना चाहिये।

अल्लाह ने मुसलमानों को मुसलमानों पर भी किसी तरह का अत्याचार करने से रोका है। अल्लाह फरमाता है " जो लोग मुसलमान मर्दों और औरतों पर बगैर किसी (लानत मलामत) के काम की यातनायें देते हैं वह बहुत बड़ा बोहतान और खुले पाप (का बोझ अपनी गर्दन पर) उठाते हैं। (सूर अहजाब ५८)

मुहम्मद स० ने फरमाया

हर मुसलमान की जान इज्जत और माल दूसरे पर हराम है। (बुखारी, ४०४ मुस्लिम-२५२४)

मुसलमान वह है जिस की जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। (बुखारी५१ मुस्लिम-४०)

रसूल स० ने फरमायाः बेशक अल्लाह तआला ने मुझे बताया है कि तुम नर्मी अपनाओ ताकि कोई किसी पर अत्याचार न करे और न कोई किसी पर फख्र (गर्व) करे। इन हदीसों से स्पष्ट है कि किसी मुसलमान के लिये जायज नहीं कि किसी को किसी तरह सताये और किसी के जान माल और इज्जत के लिये खतरा बने या किसी पर अत्याचार करे। इस फतवे पर जिन मुफती ओलमा और मदर्सों के पदधारियों के हस्ताक्षर हैं। वह यह है।

●●●

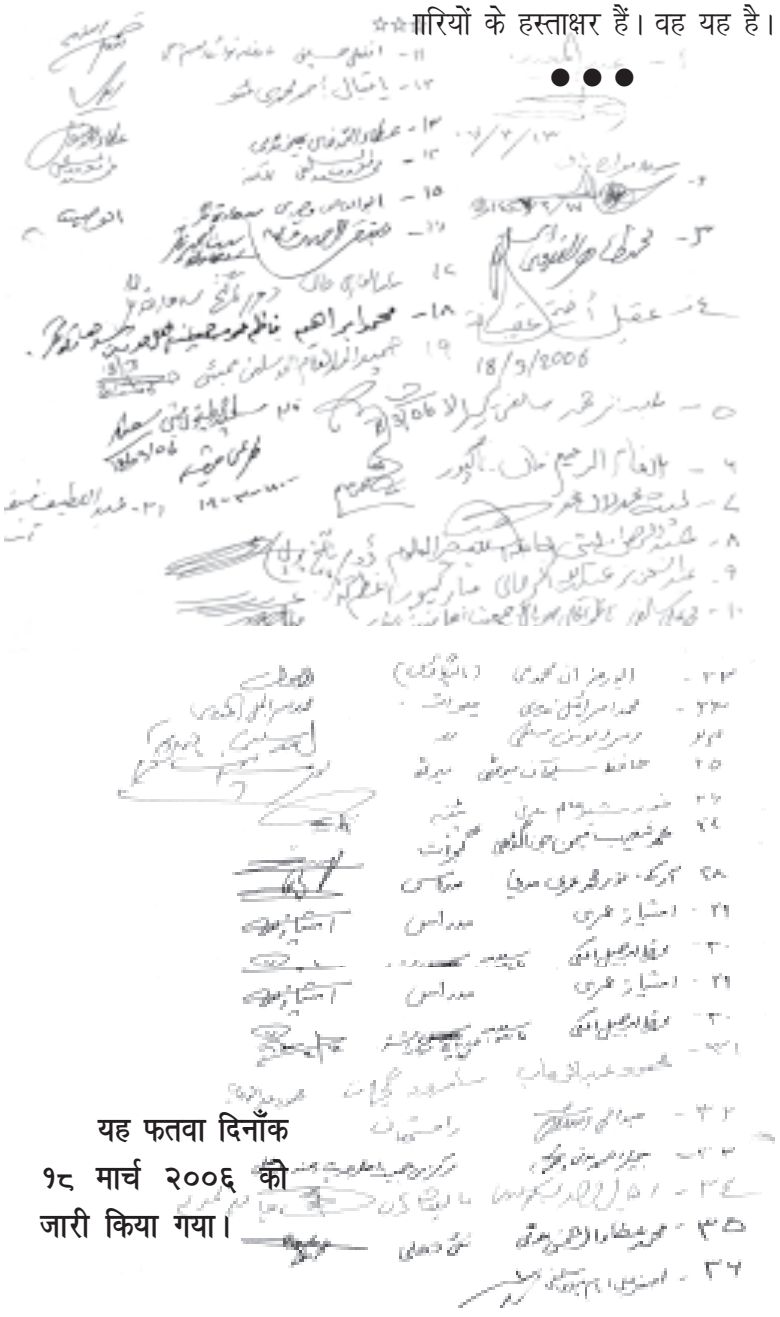

यह फतवा दिनाँक १८ मार्च २००६ को जारी किया गया।

पैगम्बर मुहम्मद स०अ०व० के उपदेश

नबी स०अ०व० ने फरमाया कि जब कब्र में सवाल होता है तो काफिर या मुनाफिक यह जवाब देता है हाय हाय मुझे मालूम नहीं मैंने लोगों को एक बात करते हुये सुना तो मैं भी इसी तरह कहता रहा इसके बाद उसे लोहे से मारा जाता है कि वह चीख उठता है उसकी चीख पुकार को इन्सान और जिन्नातों के अलावा हर चीज़ सुनती है अगर इन्सान इस आवाज़ को सुन ले तो बेहोश हो जायेगा।(बुखारी १३८०. १३३८)

❑ रसूल स०अ०व० ने फरमायाः जुल्म और ज्यादती और रिश्ता नाता तोड़ना यह दोनों ऐसे जुर्म हैं कि अल्लाह तआला आखिरत की सजा के साथ दुनिया ही में इसकी सजा दे देता है। (तिर्मिज़ी २५११, अबू दाऊद ४९०२)

❑ रसूल स०अ०व० ने फरमाया रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है और कहता है, जो मुझे मिलाये, अल्लाह उसे अपने साथ मिलाये और जो मुझे तोड़े अल्लाह उसे अपने से तोड़े। (मुस्लिम २५५५)

❑ नबी स०अ०व० ने फरमायाः किसी मिस्कीन पर सदक़ा करना केवल सदका है और अगर यही सदका किसी गरीब रिश्तेदार पर किया जाये तो इसकी हैसियत दो गुना हो जाती है एक सदके का सवाब और दूसरे रिश्तेनातेदारी जोड़ने का सवाब। (तिर्मिज़ी ६५८)

❑ नबी स०अ०व० ने फरमायाः जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे रिश्ता नाता जोड़े रहना चाहिये। नबी स०अ०व० ने फरमायाः रिश्ता नाता जोड़ने से खानदान में मुहब्बत बढ़ती है माल में बढ़ोतरी होती है और उमर में बरकत होती है। (तिर्मिज़ी)

❑ तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे तो उसको अपने हाथ से खत्म करे अगर इसकी ताकत न हो तो जुबान से दूर करने का प्रयास करे, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल में इसको बुरा जाने और यह ईमान की सबसे कमज़ोर अलामत है। (मुस्लिम)

❑ मजलूम की बददुआ से बचो इसलिये कि इसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं। (बुखारी)

❑ अगर किसी ने अपने भाई को अपमानित (रूस्वा) किया है, उसके माल व दौलत या किसी और चीज़ से कुछ लिया है या किसी के साथ कोई जुल्म किया है तो दुनिया ही में उसको मआफ करा ले और उसकी भरपाई कर दे वर्ना क्यामत के दिन जब दीनार व दिहर्म न होंगे ताकि किसी को इनके माध यम से खुश किया जा सके। जालिम के अच्छे कर्मों को उसके जुल्म के हिसाब से मजलूम के हिस्से में डाल दिये जायेंगे। जब उसका नाम-ए-आमाल नेकियों से खाली हो जायेगा और मजलूम का हक़ बाकी रहेगा तो मजलूम के गुनाह उसके सर पर डाल दिये जायेंगा। (बुखारी)

❑ जुल्म से बचो इसलिये कि जुल्म क्यामत के दिन अंधेरा बन कर आयेगा। (मुस्लिम)

❑ अपने भाई की मदद करो, चाहे वह जालिम हो या मजलूम। आप स०अ०व० से पूछा गया, जालिम की मदद कैसे की जाये।

फरमाया कि उसको जुल्म करने से रोकना ही उसकी मदद है। (बुखारी-मुस्लिम)

❑ ऐ अबू ज़र! जब तुम्हारे घर सालन बनाया जाये तो उसमें पानी बढ़ा लिया करो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। (मुस्लिम ४७५८)

❑ जो व्यक्ति अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को दुख न दे। (बुखारी ०५६७१)

❑ एक बार मुहम्मद स०अ०व० ने तीन बार यह वाक्य सुनाया अल्लाह की कसम वह व्यक्ति मोमिन नहीं हो सकता जिसके दुख से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (बुखारी-५५५७)

❑ अल्लाह के नजदीक साथियों में सबसे बेहतर साथी वह है जो अपने साथी के हक़ में बेहतर हो और सबसे अच्छा पड़ोसी वह है जो अपने पड़ोसी के हक़ में बेहतर हो। (तिर्मिज़ी-१८६८)

❑ जिसे यह पसन्द हो कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मुहब्बत करें तो उसे चाहिये कि वह हमेशा सच बोले और जब किसी मामले पर उस पर भरोसा किया जाये तो वह अपने इमानतदार होने का सुबूत दे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करे (बैहकी १५०२)

❑ हज़रत आइशा रज़िअल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल स०अ०व० ने फरमायाः कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब भी मेरे पास आते तो मुझे पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने पर इतना ज़ोर देते थे कि मुझे ऐसा लगने लगता था कि वह वरासत में पड़ोसी को हिस्सेदार बना देंगे। (बुखारी-५५५५)

❑ तुममें सब से बेहतर वह है जिसके जरिये से दूसरे इन्सानों को सबसे ज़्यादा भाइदा पहुंचे।

❑ भ्रम से बचो, क्योंकि वह बदतरीन झूठ है, दूसरों की टोह में न लगे रहो, दलाली न करो, साजिश न करो, एक दूसरे के खिलाफ डाह न रखो और अल्लाह के बन्दे बनकर भाई भाई की हैसियत से रहो। (मुस्नद अहमद २८७/२)

❑ रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है रिश्ता नाता कहता है कि जो मुझे जोड़े गा अल्लाह तआला उसे अपनी रहमत से जोड़ेगा और जो मुझे काटेगा अल्लाह तआला उसे अपनी रहमत से काट देगा। (बुखारी१४७/१)

❑ रिश्ता-नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जायेगा। (बुखारी)

❑ अल्लाह तआला ने रिश्तेदारी को खिताब करते हुये फरमाया क्या तू उससे खुश नहीं है कि जिसने तुझे मिलाया मैं उसे जन्नत से मिलाऊं और जिसने तुझे काटा मैं उसे (जन्नत से) काट दूं। (बुखारी)

❑ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बयान करते हैं कि एक व्यक्ति ने आकर मुहम्मद स०अ०व० से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा काम बता दिजिये, जिसको करने से मैं जन्नत में चला जाऊं। मुहम्मद स०अ०व०ने फरमायाः अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को साझीदार न ठहराओ, नमाज़ काइम करो, जकात दो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो। (बुखारी-मस्लिम)

❑ जिस व्यक्ति का अल्लाह पर ईमान हो तो उसे अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता नाता जोड़े रखना चाहिये। (बुखारी)

❑ ❑ ❑

इस्लामी शिक्षाओं में इन्साफ की महत्ता

डा० मुहम्मद तैयब शम्स

इस्लाम दीने फितरत है फितरत चाहे इन्सान से संबन्धित हो या संसार से संबन्धित। इस में मध यमार्ग का चिन्ह अत्यंत स्पष्ट है इन्साफ अल्लाह की खूबियों में से एक प्रमुख खूबी है जिसका इज़हार जिन्दगी और मौत के तमाम प्रदर्शनों में दिखाई देता है इस संसार की सभी सृष्टि और प्रकृति के अन्य प्रतीक इन्साफ के कारण मौजूद और बाकी हैं। इन्साफ संसार की सभी सृष्टि में श्रेष्ठतम है अतः उसे इन्सान को समझने और अपनाने की सबसे ज्यादा ज़रूरत है। सभी नबियों और पैगम्बरों की दावत में भी इन्साफ का पहलू स्पष्ट रहा है। किसी कौम से दुश्मनी के आधार पर इन्साफ का पलड़ा कमज़ोर न हो इन्साफ काइम और बाकी रहे। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''और किसी कौम की दुश्मनी से अन्याय न करने लगो (बल्कि हर हाल में) न्याय ही किया करो। (क्योंकि) न्याय परहेजगारी के बहुत ही करीब है और अल्लाह से डरते रहो'' (सूरे माइदा-८)

कानून का इन्साफ

इन्साफ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कानून का इन्साफ है। इस्लामी कानून ने समाज में हर प्रकार के अत्याचार और अधिकार हनन का निवारण करता है इस्लाम किसी व्यक्ति संगठन, संस्था या रियासत को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वह किसी भी शख्स का अधि ाकार हनन करे या नाहक माल हड़प ले या किसी की अस्मिता को आहत करे, इस्लामी कानून हर व्यक्ति जमाअत के जान व माल और सर्वमान्य बुनियादें, शिक्षित, अशिक्षित, साधारण, असाधारण अपराध करने वाले और गवाही देने वाला तक तमाम मामलों में बराबरी एवं इन्साफ का दामन थामे रखने पर सख्त बल दिया है। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''अगर (मेरी बेटी) फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता'' (नेसई, अहमद)

आर्थिक न्याय एवं समता

आर्थिक न्याय एवं समता इस्लाम का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इस्लामी कानून ने आर्थिक समता एवं न्याय को ध्यान में रखते हुये मालदारों पर गरीबों के लिये जकात को अनिवार्य करार दिया है। तिजारत हलाल है जब कि सूद, चोरी, डकैती हराम है। कम तौलने वालों के लिये तबाही और बर्बादी है। माल व दौलत को गलत तरीके से जमा करने से मना किया गया है। इस्लाम आर्थिक अत्याचार एवं जब्र के हर पहलू को मिटाना चाहता है और आर्थिक पहलू से एक न्यायायिक व्यवस्था चाहता है जिससे समाज हर प्रकार की लूट खिसोट अत्याचार और आर्थिक असमानताओं की तबाहकरियों से सुरक्षित हो सके। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की स्पष्ट शिक्षा है जिसने धोका दिया उसका मुझसे कोई संबन्ध नहीं है। (मुस्लिम)

स्वयं के साथ इन्साफ

इन्साफ का तकाज़ा अपनी जाति से बहरहाल संबद्ध है जो शख्स अपने साथ इन्साफ नहीं कर सकता वह किसी के मामले में इन्साफ नहीं कर सकता हर शख्स अल्लाह का नायब है और अल्लाह की एक प्रमुख खूबी इन्साफ है। न्याय की स्थापना से लापरवाही न की जाये चाहे स्वयं का कितना ही बड़ा नुक़सान क्यों न हो। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

(इसलिये) ऐ मुसलमानों खुदा लगती इन्साफ से गवाही दिया करो अगर्चे (वह गवाही) तुम्हारे लिये या तुम्हारे मां बाप के लिये या तुम्हारे करीबियों के लिये नुकसान पहुंचाने वाली हो (तो भी तुम सच्ची गवाही से न रूको) अगर कोई शख्स मालदार हो या फकीर, अल्लाह उसका मुतवल्ली है इसलिये तुम न्याय करने में अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे न चलो और अगर जबान दबाकर कर (दो रूखी बातें) कहोगे (जिससे किसी हकदार का नुकसान हो) या (बिलकुल ही गवाही से) मुंह फेरोगे तो अल्लाह तुम्हारे कामों से आगाह है। (सूरे निसा आयत-१३५)

समाजी जीवन में न्याय

इन्साफ वास्तव में कामयाब समाज की जान है। घर, रिश्ते नातेदार और समाज में हर एक को उसका निर्धारित स्थान एवं सम्मान दिलाने का एक ही तरीका न्याय ही है और इसी न्याय से मां बाप, करीबी, रिश्तेदार मोहल्लावासी अध्यापक, गरीब अमीर सबके अधिकार इसी न्याय के तकाजे से पूरे किये जा सकते हैं और इस समाजी न्याय का नमूना यह है कि हर एक को उसका वैध अधिकार दिये जायें। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है (इस तालीम का सारांश यह है कि) अल्लाह तुम को इन्साफ करने का हुम देता है और (हर एक के साथ) एहसान करे का संबन्धियों को (ताकत के मुताबिक) देने का और बेहयाई (अर्थात जिना और उसकी तरफ उभारने वाली चीज़ों) और नाजायज़ हरकतों से और अत्याचार से मना करते हैं। (सूरे नहल ९०)

औलाद के बीच समता और इन्साफ औलाद के बीच समता और इन्साफ भी ज़रूरी है वर्ना उनके अन्दर हसद और वैमनष्यता के जजबात पैदा होंगे। अधिकतर घरेलू झगड़े इसलिये पैदा होते हैं कि हमारे घरों के मुखिया इन्साफ नहीं करते, बेटों को बेटियों पर वरियता देना औलाद में किसी को एक से ज्यादा एखतियारात दे देना, जायदाद बराबर तकसीम न करना, या किसी को वंचित कर देना, न्याय के खिलाफ काम है। घरों में पाये जाने वाली यह कशीदगी इन्साफ के द्वारा दूर की जा सकती है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी सभी औलाद के साथ एक जैसा व्यवहार करने और घरों में एक जैसा प्यार का माहौल पैदा करने की शिक्षा दी है।

हज़रत नौमान बिन बशीर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि उनके पिता जी उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लेकर आये और कहा कि मैंने अपना गुलाम अपने बेटे को दे दिया है। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमने अपनी सभी औलाद को इसी तरह गुलमा दिया है? उन्होंने कहा नहीं,

इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर इस गुलाम को वापस कर लो। दूसरी रिवायत के शब्बों में कि मेरे पिता जी मुझे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लेकर आये और कहा कि आप मेरे हिबा (तोहफा) में गवाह बन जाइये आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कया तुम ने अपनी सभी औलाद के साथ ऐसा किया है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के बीच इन्साफ करो अतः मेरे पिता जी ने हिबा वापस कर लिया। (बुखारी, मुस्लिम)

यतीम, बेवा, सेवक और भीख मागने वाले समाज के कमजोर तरीन लोग होते हैं जिन्हें लोग कमज़ोर समझ कर उनके अधिकार को पामाल करते हैं। अल्लाह ने इन लोगों के साथ इन्साफ का हुक्म दिया। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''पस यतीम (अनाथ) पर तू सख्ती न कर और मांगने वालों को डांट डपट न कर (सूरे जुहा ९-१०) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने मर्जुल मौत में फरमाते थे नमाज़ को लाज़िम पकड़ो और गुलामों का हक़ अदा करो। (बैहक़ी शोअबुल ईमान)

जानवरों के साथ न्याय

इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था केवल इन्सान ही नहीं बल्कि तमाम जानवरों पक्षियों पेड़ पौधों और निर्जीव का ख्याल रखने पर जोर देती है। जानवरों को दुख देना और उन्हें मारने से सख्ती से रोका गया है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जिस चीज़ में जान हो उस पर निशानाबाज़ी न करो'' (मुस्लिम, १९५७-५८)

समता और न्याय से ही एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण हो सकता है और इसी में इन्सान का जीवन निहित है एक समृद्ध विकसित राष्ट्र के लिये समता और न्याय की खूबियों से सुसज्जित होना आवश्यक है। इसी समता और न्याय की स्थापना से तमाम इन्सान सुख चैन, राहत और हर्षपूर्ण जीवन बसर कर सकेंगे।

❑❑❑

(प्रेस रिलीज़)

जुमादल ऊला १४४७ का चाँद नज़र नहीं आया

दिल्ली, २२ अक्टूबर २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ रबीउस्सानी १४४७ हिजरी अर्थात २२ अक्टूबर २०२५ बुद्ध को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और सफ़रूल मुजफ्फर के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदध ाारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर नहीं मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि जुमेरात के दिन रबीउल आख़िर की ३०वीं तारीख होगी।

मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म(छठी क़िस्त)

लेखकः मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी
अनुवादः नौशाद अहमद

इस्लाम वैचारिक मतभेद को स्वीकार करता है सहन सम्मान और प्रेम की पालीसी के गठन करता है अच्छे और शांतिपूर्ण समाज के गठन के लिए विरोधाभास को समझना जरूरी होता है। मतभेद को समझने के बाद अन्य धर्म और आस्थाओं के सम्मान का जज्बा पैदा होता है और इस तरह से विभिन्न मतों और धर्म के लोगों को करीब लाया जा सकता है।

इस्लाम की तारीख ही बताती है कि गैर मुस्लिमों के साथ वार्ता और बातचीत की न सिर्फ इस्लाम में इजाजत है बल्कि इस्लाम के पैगंबर का तरीका भी है। वार्ता से बढ़कर संधि भी अहम है। सुलह हुदैबिया इस्लामी तारीख की प्रसिद्ध संधि है

६ हिजरी जुल कादा के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग डेढ़ हजार सहाबा किराम के साथ में उमरा के इरादे से मदीना से मक्के की तरफ रवाना हुए इससे पहले आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने साहब किराम को वह ख्वाब भी सुनाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मक्का जाते और उमरा करते हैं। इधर कुरैश वालों को यह परेशानी हुई कि एक तरफ जुलकादा जैसे हुरमत के महीने में उमरा या हज से रोकने का किसी को हक नहीं है दूसरी तरफ से अगर मुसलमानों का इतना बड़ा काफिला मक्का में दाखिल हो गया तो इससे कुरैश का सारा रोब खत्म हो जाएगा इधर मुसलमान का काफिला हुदैबिया पहुंच गया और कुरैश के साथ एलचियों का आदान-प्रदान शुरू हुआ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ियल्लाहो तआला अन्हू को कुरैश के पास भेज कि हम जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के घर की जियारत के लिए एहराम बाँध कर कुर्बानी के ऊंटो के साथ आए हैं। इसी दौरान यह खबर उड़ी कि उस्मान रज़ियल्लाह तआला अन्हू को कत्ल कर दिया गया है इससे जंग का खतरा पैदा हो गया जबकि मुसलमान जंग के लिए तैयार होकर नहीं आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया और जंग से फरार न करने पर सबसे बयअत ली जो बैअते रिजवान के नाम से मशहूर है। बाद में उस्मान रज़ियल्लाहो तआला अन्हू के कत्ल की खबर गलत निकली कुरैश ने सुलह पर अमादगी का इजहार किया लंबी बातचीत के बाद निम्न शर्तों पर अली रजी अल्लाह तआला अन्हू के हाथ से यह सुलह पत्र लिखा गयाः

- १० साल तक जंग बंदी

रहेगी कुरैश का जो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भाग कर जाएगा उसे वापस करना होगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो आदमी कुरैश के पास जाएगा उसे वापस नहीं किया जाएगा कबीलों में से कोई कबीला किसी एक पक्ष का समर्थक बनकर इस संधि में शामिल हो सकता है

❑ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा के बगैर वापस जाएंगे और अगले साल उमरा कर सकेंगे।

इस मुआहदे को कुरैश ने अपनी जीत समझी और मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो वसल्लम के नबी होने पर शक होना शुरू हुआ कि हम तो कुरैश के आदमी वापस करें लेकिन वह हमारे आदमी वापस न करें फिर इस ख्वाब का क्या मतलब था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो वसल्लम ने देखा था?

सुलह हुदैबिया से वापस जाते हुए रास्ते में सूरे फतेह जीत की खुशखबरी लेकर नाजिल हुई फिर बाद में सबने व्यवहारिक रूप से देख लिया कि संधि की बरकत से इस्लाम को एक बागियाना आन्दोलन की हैसियत से नहीं बल्कि एक दीन के तौर पर स्वीकार किया गया है। जंगबंदी से अम्न का वातावरण बहाल हो गया जिसमें इस्लाम ने खूब फलना फूलना शुरू किया सिर्फ कुछ महीनों के बाद खैबर फतेह हो गया और २ साल के कम अरसे में १४०० का यह लश्कर १०००० की तादाद के साथ मक्का में दाखिल हो गया

इन उपर्युक्त संधियों से मालूम होता है कि इन तमाम नाजुक हालात, अशान्त स्थिति और असहायक एवं उत्तेजित करने वाले हालात में भी चन्द जज़बाती बातों के सिवा जो विरले लोगों से हुई, कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। सलफियों और मुसलमानों को सहाबा किराम और सत्यवान पूर्वजों के इस आदर्श को अपनाना चाहिए और व्यवहारिक रूप से नरम गरम में इस पर खरा उतरना चाहिए। यहूद का बुरा व्यवहार, हज्जतुल विदा और मक्का विजय में मुसलमानों के स्वभाविक बदला लेने के जज़बे में भी व्यवस्था एवं डिसीपिलिन के उच्च दर्जे का ख्याल ''और आज बदले के दिन'' के बदले ''दया करने का दिन'' का नारा और सहाबा का इस पर अमल करना हुदैबिया में अत्यंत उत्तेजक और अपमानजनक व्यवहार करने पर सहाबा का संयम, अल्लाह के रसूल स० का हलफुल फजूल का ज़िक्र करना और सहाबा के दिलों में इस की अहमियत और सम्मान को बिठा देना और उनका इस तरह के किसी भी वाक़आत से प्रभावित, बद दिल और उनका हतोत्साहित न होना और न मायूसी को भटकने देना और न हालात से समझौता करके बैठ जाना बल्कि हर तरह के हालात का मर्दानावार मुक़ाबला करना और सब्र व सुकून का इज़हार करना जैसे घृष्टिकोण इस्लाम की संयमी शिक्षा और रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के अम्न के लिये हद दर्जा हरीस होने को दर्शाते हैं और हर ज़माने में इन की सार्थकता सर्वमान्य है अगर आज भी इस तरह के हौसला तोड़ने वाले

हालात में संयम व सब्र का प्रदर्शन नहीं किया गया और जज़बात पर काबू नहीं पाया गया तो जोश में होश खोने और दुश्मन के वरग़लाने में आने से दुश्मन को खेल खेलने का मौक़ा हमें कुचल देने और फ़साद फैलाने का बहाना मिलेगा और कायर होने, घबरा कर मायूस होने से दुश्मन का दाँव चलेगा और इस तरह से हालात और बदतर हो जायें गे। इसलिये ''निसन्देह तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल स० में हमेशा से अच्छा आदर्श है उसके लिये जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर विश्वास रखता हो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद रखता हो।'' (सूरे अहज़ाबः १३७)

और दूसरी आयत में सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम के समान ईमान लाने का मतलब यही है जैसा कि पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः पस अगर वह भी ईमान ले आयें जिस तरह तुम ईमान लाये हो तो वह भी हिदायत पा गये'' वर्ना अतिशयोक्ति में उम्मत का नुक़सान है।

(जारी)

(प्रेस विज्ञप्ति)

दिल्ली में संगीन आतंकवाद और सख़्त तरीन निन्दा, यह अत्याचार और अपराध की इंतेहा हैः

असग़र अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

दिल्ली ११ नवंबर २०२५

लाल क़िला के सामने मेट्रो स्टेशन के समीप फिर आतंकवाद का दानव नंगा नाच गया और राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हाथों निर्दोष प्राणों और सम्पदा की तबाही की जानकाह ख़बर फिर सुनने को मिल गयी इससे ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक ख़बर क्या हो सकती है? और इससे बढ़कर अपराध और क्या हो सकता है? इसकी जितनी सख़्त और पुरजोर निन्दा की जाये कम है। इस आतंकी घटना की निन्दा करते हुए अपराधियों को उनके किये की सज़ा देने तक मांग करते हुए आतंक के शिकार होने वालों पर दया खाते हुए और उनके लिये प्रार्थना करते हुए परिवार जनों से हार्दिक शोक और हताहतों के ज़ख्मों पर मरहम की बात और काम ज़रूरी और फर्ज़ है।

मगर यह आंतकवाद कहाँ पैदा हो रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? जब तक सीमा से लेकर हर व्यक्ति हर नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी जानकर और अपना फर्ज़ फहचान कर आतंकवादियों पर नज़र नहीं रखेंगे उनके आंतक से नहीं बच सकेंगे। आख़िर आतंकवादी कैसे पैदा हो रहे हैं और हम कहाँ सोये हुए हैं? यह पूरी क़ौम के लिए चिंता का क्षण है ऐसे में हर स्तर पर दायित्व समझ कर इस आतंकवाद की रोकथाम के लिये अत्यंत संघर्ष फर्ज़ है। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द, उसके ज़िम्मेदारान और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अगुवाई में इसकी सख़्त तरीन निंदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह तआला प्रभावितों को संयम, साहस और हताहतों को स्वास्थ लाभ दे और देश को इस नासूर से बचाये।

जारी कर्ता
मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब क़ाइम कीजिए
मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नों के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इबरत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्ज़त व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व क़िरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदारिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुंचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्जवल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उददेश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के पिरणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदारिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्ध ा में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी

अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

NOVEMBER 2025
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

खुशख़बरी खुशखबरी

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का

कलैन्डर 2026

आकर्षक, खुशनुमा, हर सफा इस्लामी तालीमात और कुरआनी आयात से सुसज्जित और अहम मालूमात से पुर कलेन्डर के लिए अपना आर्डर बुक करायें।

मकतबा तर्जुमान

Ahle Hadees Manzil 4116, Urdu Bazar
Jama Masjid, Delhi-110006

Paytm UPI

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पताः-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

9899152690@ptaxis

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28

28